संख्या-10/2018/287/55-पर्या-2-2018-68(पर्या)/2018

प्रेषक,

निहालुद्दीन खाँ,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 16 अप्रैल, 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-45 के अंतर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या-1232/पर्या/ लेखा-14/2018-19 दिनांक 27.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण विभाग के वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान संख्या-45, लेखाशीर्षक-''3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन'' के ''03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय के अन्तर्गत रू0 3,12,92,,000-00 तथा 04-क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत रू0 1,36,74,000-00 एवं लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04- प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-800-अन्य व्यय-04-राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट अससेसमेन्ट अथारिटी के मानक मद संख्या-42-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत रू0 25,00,000-00 अर्थात कुल रू0 4,74,66,000-00 (रू0 चार करोड़ चौहत्तर लाख छाछठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आय-व्यय अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375 /दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित शर्तों के अधीन निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अनुदान सं0-45 के अंतर्गत की गयी बजट व्यवस्था में

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

से धनराशि रू0 4,74,66,000-00 (रू0 चार करोड़ चौहत्तर लाख छाछठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार हैः-

(रू0 लाख में)

मद/योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु की गई कुल बजट प्रावधान	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये स्वीकृति धनराशि
1	2	3
अनुदान सं0-45		
3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण		
04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण		
001-निदेशन तथा प्रशासन		
03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय		
01-वेतन	190.43	190.43
02-मजदूरी	11.60	11.60
03-मंहगाई भत्ता	19.04	19.04
04-यात्रा व्यय	3.25	3.25
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.75	0.75
06-अन्य भत्ते	13.00	13.00
07-मानदेय	0.20	0.20
08-कार्यालय व्यय	2.00	2.00
09-विद्युत देय	12.00	12.00
10-जलकर/जल प्रभार	7.00	7.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.00	1.00
12-कार्यालय फर्नीचर एव उपकरण	1.50	1.50
13-टेलीफोन पर व्यय	1.00	1.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि की	3.25	3.25

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

खरीद		
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6.00	6.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	8.60	8.60
18-प्रकाशन	1.00	1.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता	0.30	0.30
29-अनुरक्षण	10.00	10.00
42-अन्य व्यय	2.00	2.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	1.00	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.50	1.50
49-चिकित्सा व्यय	1.80	1.80
51-वर्दी व्यय	0.20	0.20
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष)राजकीय(	12.50	12.50
03	312.92	312.92
04- क्षेत्रीय कार्यालय		
01-वेतन	82.65	82.65
02-मजदूरी	1.00	1.00
03-मंहगाई भत्ता	8.27	8.27
04-यात्रा व्यय	4.00	4.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.60	1.60
06-अन्य भत्ते	7.80	7.80
07-मानदेय	0.20	0.20

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

08-कार्यालय व्यय	2.00	2.00
09-विद्युत देय	4.00	4.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.50	0.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद	1.50	1.50
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	10.00	10.00
18-प्रकाशन	0.50	0.50
42-अन्य व्यय	1.00	1.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	0.50	0.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	1.00	1.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.50
49-चिकित्सा व्यय	0.90	0.90
51-वर्दी व्यय	0.10	0.10
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष)राजकीय(	6.72	6.72
योग-04	136.74	136.74
3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 800-अन्य व्यय 04-राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवल इन्वायरमेंट		

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी 42-अन्य व्यय	25.00	25.00
कुल योग रू0	4,74.66	4,74.66

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृति धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-45, ''लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04- प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन के 03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय" तथा ''04- क्षेत्रीय कार्यालय एवं लेखाशीर्षक- 3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-800-अन्य व्यय-04-राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट अससेसमेन्ट अथारिटी के मानक मद संख्या-42-अन्य व्यय के संगत मानक मदों से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(निहालुद्दीन खाँ)
संयुक्त सचिव।

संख्या-10/2018/287/55-पर्या-2-2018-68(पर्या)/2018,दिनांक:16 अप्रैल,18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2
5- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(निहालुद्दीन खाँ)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in